तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
5/12/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय उपरान्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 181/2022

प्रार्थीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र सवाईराम
2. भेराराम पुत्र सवाईराम
3. अमरू पत्नी सवाईराम
   जाति जाट निवासी जूनी उन्दरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लुम्भाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी
2. आसू पुत्र दुर्गा
3. उगम पुत्र दुर्गा
4. केवदा पुत्र खुशाला
5. जगमाल पुत्र दुर्गा
6. रमेश पुत्र दुर्गा
7. वसना पुत्र दुर्गा
8. हडमता पुत्र दुर्गा
   जाति पुरोहित निवासी नई उन्दरी तहसील नौखड़ा
9. जोगाराम पुत्र चेतनराम
10. तेजाराम पुत्र जीवाराम
11. पेमाराम पुत्र जीवाराम
12. सवाईराम पुत्र चेतनराम
13. अणसीदेवी पत्नी चेतनराम
14. कमला पुत्री चेतनराम (नाबालिंग की वली माता अणसीदेवी पत्नी चेतनराम) जाति मेगवाल निवासी जालीखेडा
15. राणाराम पुत्र उर्जाराम जाति मेघवाल निवासी जूनी उन्दरी तहसील गुड़ामालानी
16. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के [illegible] अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थापित सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 411/248 रकबा 9.0730 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद सरहद मौजा जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 411/248 रकबा 9.0730 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5/12/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:52 IST
Reason: SelfAttested